

चिकित्सा-विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बुद्धिमान नेता एवं प्रथम गुरु
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एंजलिंग एंड इन्फ्यूजन के
मुख्य मालसिध 200 प्रमोड संकर बालवेई
का विचार दिनांक 11 अगस्त, 2018
दिन शनिवार समय प्रातः 07-40 पर हो गया
आ डॉ बालवेई के सभी पीढ़ियों एवं सम्बन्धितों
से उनकी आत्मा की शान्ति हेतु
करीब की जाती है।
श्रीमान/सुप्रीम की मृत्यु
कारण पर डॉ. इलेक्ट्रो होम्योपैथी के
सर्वप्रथम एवं प्रथम गुरु डॉ. इलेक्ट्रो होम्योपैथी
का निधन हो गया।
श्रीमान का निधन 11 अगस्त, 2018
को हुआ।
श्रीमान का निधन 11 अगस्त, 2018
को हुआ।
श्रीमान का निधन 11 अगस्त, 2018
को हुआ।

पत्र व्यवहार हेतु पता :-
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 एच एच जूरी, कानपुर-208014

वर्ष -40 • अंक -16 • कानपुर 16 से 31 अगस्त 2018 • प्रधान सम्पादक - डा0 एम0 एच0 इदरीसी • वार्षिक मूल्य -₹100

स्थानीय पंजीयन न होने से पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथों में आक्रेश

इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है अधिकार पूर्वक इस चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय किया जा सकता है, बशर्त ! जो चिकित्सक जिस राज्य में चिकित्सा व्यवसाय कर रहा हो वह उस राज्य में प्रचलित कानूनों का पालन कर रहा हो, जो लोग यह भ्रम फैलाते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिए इस पर अभी कोई कानून प्रभावी नहीं है यह नितांत धामक व असत्य है क्योंकि चिकित्सा राज्य का विषय होता है और जो चीज जहाँ से नियन्त्रित की जाती है उसे वहाँ से नियन्त्रित होने के लिए प्रयास करने चाहिये यह सत्य है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान के लिए स्पष्ट आदेश कर दिये हैं लेकिन यह भी जानना चाहिये कि केन्द्र सरकार आदेश करती है और राज्य सरकार आवश्यकता-नुसार जनहित में उनका अनुपालन करती है। आपको बताते चलें कि चिकित्सा व्यवस्था को गुणवत्तायुक्त बनाने के लिए 18 अगस्त, 2010 को केन्द्र सरकार द्वारा क्लिनिकल स्टैबिलिश्मेन्ट एक्ट नामक अधिनियम बनाया गया था जिसे हर राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने यहाँ लागू करना था। 8 वर्ष बीत जाने के बाद अभी भी देश के आधे से ज्यादा राज्यों में यह कानून प्रभावी नहीं है ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने का आदेश 21 जून, 2011 को जारी हुआ था इस आदेश का पालन भी देश के हर राज्य व केन्द्र शासित

प्रदेश को अनुपालन हेतु निर्देश भी हैं 7 साल बीत जाने के बाद देश के एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश में ही इस आदेश का क्रियान्वयन हो सका है 11 राज्यों में इस आदेश के क्रियान्वयन की प्रक्रिया बड़ी सुस्त गति से चल रही है। शेष राज्यों ने अभी इस आदेश के क्रियान्वयन की पहल तक भी नहीं की है। ऐसे में हम सब लोगों को इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने चाहिये। ऐसा इसलिए होना आवश्यक है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से ऐसे कार्य किये जायें जिसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़े उदाहरण स्वरूप रोग से पीड़ित मनुष्य की एक मात्र इच्छा यही होती है कि शीघ्र से शीघ्र वह जिस चिकित्सक से चिकित्सा ले रहा है वह उसे रोगमुक्त करे, पैथी के बारे में तभी रोगी की अच्छी राय बनती है। एक बात तो बहुत सामान्य है वह यह है कि रोगी अपने चिकित्सक के पास पूरे भरोसे के साथ जाता है और वह विश्वास रखता है

कि उसका चिकित्सक उसे शीघ्र रोगमुक्त करके आराम दिलायेगा। जब रोगी को आराम मिल जाता है तब वह जहाँ कहीं भी जाता है अपने चिकित्सक और उसके द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली चिकित्सा पद्धति की प्रशंसा करते नहीं थकता है, यह सब बातें सुनने और कहने में तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन मूल रूप में उन्हें पाने के लिए जो करना पड़ता है वह शायद न तो हमारे द्वारा किया जाता है और न संस्थाओं द्वारा, आज हर व्यक्ति प्रगति की अन्धी दीड़ में दीड़ा जा रहा है सफलता मिले ! कैसे मिले ? इसके लिए कोई व्यवस्था निर्मित नहीं है और जब बिना

व्यवस्थाओं के सफलता प्राप्त का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है तब ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति संदिग्ध रहती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी निर्विवाद रूप से अधिकार प्राप्त है परन्तु अपने अधिकारों को हम कैसे उपभोग करें ? यह जानते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं आज महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से लगातार सूचनायें प्राप्त हो रही हैं कि इन दोनों राज्यों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रमाण पत्र धारकों की क्लिनिकों पर छापे पड़

उसे उस राज्य में प्रचलित कानूनों का पालन करना ही होता है। आज यह मूल समस्या है कि भारत वर्ष के सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थानीय पंजीयन किसी न किसी रूप में अवश्य लागू है, उसका स्वरूप चाहे जो हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ विद्यमान यह है कि आज भी राज्य स्तरीय परिषदों की तुलना में केन्द्रीय परिषदों का दबदबा ज्यादा है जब कि राज्य में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे अपने राज्य में विधि सम्मत ढंग से स्थापित राज्य स्तरीय परिषद में पंजीयन होना चाहिये, यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों को लगातार परेशान कर रहा है आज भी देश में ऐसी कुछ संस्थायें हैं जो राष्ट्रीय पंजीकरण के आधार पर ही पूरे देश में प्रैक्टिस करने का अधिकार प्रदान करती हैं और अपने इस दावे के पक्ष में यह तर्क देती हैं कि जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं मिलती है तब तक राज्य स्तरीय पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि सत्य यह है कि जो संस्थायें केन्द्रीय पंजीयन की वकालत करती हैं और केन्द्रीय पंजीयन के पक्ष में तथ्य देती हैं वे यथार्थ के घरातल से बिल्कुल अलग होती हैं जो संस्थायें केन्द्रीय अधिकार की बात करती हैं उन्हें चाहिये कि वे अपने विचारों को वैधानिकता के तराजू पर रखकर तीलें फिर यह तय करें राज्य स्तरीय पंजीयन की आवश्यकता है कि नहीं ? मान्यता और पंजीयन शेष अंतिम पेज पर

स्थानीय पंजीयन को दें प्रमुखता
पूरे मनोबल के साथ करें चिकित्सा
सामूहिक रूप से करें प्रतिरोध
अपनी प्रस्तुति इलेक्ट्रो होम्योपैथ के रूप में करें
वैधानिकता को दें प्रमुख स्थान

भ्रम पालते लोग

इलेक्ट्रो होम्योपैथी आज सर्वाधिक भ्रमपूर्ण स्थिति में गुजर रही है जिसके कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वह विकास नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिये देश और राज्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सन्दर्भ में आदेश सात वर्ष से ज्यादा का समय पूरा कर चुके हैं लेकिन इतनी लम्बी



अवधि के बावजूद भी अभी तक हमारे चिकित्सक के मध्य जो चेतना जाग्रत होना चाहिए उसका सर्वथा अभाव है और इसी कारण चिकित्सक तो चिकित्सक संचालकों के मध्य भी आत्म विश्वास का भाव पैदा नहीं हो पा रहा है।

जब व्यक्ति में आत्म विश्वास की कमी होती है तो वह पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पाता है यहाँ पर यह बताना उचित होगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में किसी एक तरह का भ्रम नहीं है। लोगों में तरह-तरह के भ्रम हैं और यह भ्रम चन्द लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है अब यह भ्रम इस कदर फैल चुका है कि लोगबाग उबरने का प्रयास भी करते हैं तो वह अपने आप को मकड़जाल में फँसा हुआ पाते हैं, कुछ भ्रमों के बारे में हम आपको कई बार जानकारियाँ दे चुके हैं और हम लगातार यह प्रयास भी करते रहते हैं कि हमारे चिकित्सकों का भ्रम के चलते हुए किसी तरह का कोई नुकसान न होने पाये, सबसे बड़ा भ्रम वर्तमान में चिकित्सकों के मध्य मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में पंजीयन को लेकर है बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० द्वारा चिकित्सकों को जागरूक करने के लिए 5 अप्रैल, 2015 से लगातार प्रदेश स्तर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में काफी संख्या में चिकित्सक भी जुड़े, मनोयोग से बात भी सुनी, लेकिन जैसे ही वे अकेले पड़े उनकी मनास्थिति बदल गयी और जागरूकता का कोई कदम पीछे छोड़ गये जिससे कि जो सफलतायें मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पायी हैं। जब हम वस्तुस्थिति से स्वयं को अवगत कराते हैं तो जो तथ्य सामने उबर कर आते हैं वह काफी मनोरंजक व रोचक होते हैं हमने इसे कभी भी हलकेपन से नहीं लिया क्योंकि मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में पंजीयन का कार्यक्रम सम्पादित होना बहुत आवश्यक है यदि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करना है तो अपनी चिकित्सा व्यवसाय से सम्बन्धित सूचना सी०एम०ओ० कार्यालय को देनी आवश्यक है पंजीकरण संख्या मिलना इतना आवश्यक नहीं है जितना कि आवेदन प्रेषित करना, जो लोग यह भ्रम पाले हैं कि सी०एम०ओ० कार्यालय में पंजीयन सिर्फ मान्यता प्राप्त पद्धतियों का होना है उन्हें अपनी मानसिकता में सुधार करना चाहिये और यह समझना चाहिये कि पंजीयन का मान्यता से कोई सम्बन्ध नहीं है यह पंजीयन सिर्फ अधिकृत व अनाधिकृत के मध्य में भेद पैदा करता है यदि हम पंजीयन के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो स्वयं को अनाधिकृत की श्रेणी में डाल देते हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आज स्थिति यह है कि यहाँ दो तरह की संस्थाएँ हैं एक अधिकार प्राप्त दूसरी वह जो अभी भी अधिकार प्राप्त करने के लिए तालाश में हैं ऐसे लोग भी तरह-तरह के भ्रम फैला रहे हैं भ्रम फैलाने वालों का इससे कुछ खास नुकसान नहीं होगा लेकिन जो चिकित्सक हैं वह अवश्य परेशान होगा, हमें यह बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिये कि भारत सरकार द्वारा चिकित्सा व्यवसाय हेतु क्लिनिकल स्टेबलिशमेन्ट एक्ट नामक कानून बनाया गया है जिसे हर राज्य को अपने यहां लागू करना है यह सच है कि अभी तक प्रदेश में यह लागू नहीं है लेकिन वर्तमान सरकार ने इस एक्ट को प्रदेश में लागू करने का मन बना लिया है जिस दिन भी यह एक्ट प्रदेश में प्रभावी हो जायेगा उस दिन सिर्फ वही चिकित्सक प्रदेश में चिकित्सा कार्य हेतु वैध रहेंगे जिन्होंने पहले से ही अपने पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में दे रखा है जिन्होंने पंजीयन के लिए अभी भी आवेदन नहीं किया है वह चिकित्सक सारे भ्रमों से दूर रहकर सिर्फ अपने हित के लिए अपना आवेदन मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में प्रेषित कर दें क्योंकि प्रैक्टिस आप करते हैं भ्रम फैलाने वाले नहीं, जो भ्रम फैला रहे हैं वह फैलाते रहेंगे यदि आप भ्रम में

कार्यवाही का डटकर करें मुकाबला

आजकल पूरे प्रदेश में एक बार फिर स्थानीय प्रशासन द्वारा झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध अभियान बढ़ी तेजी के साथ चलाया जा रहा है इसकी सूचनायें विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हमें लगातार प्राप्त हो रही हैं इन कार्यवाहियों में एक बात प्रमुख रूप से उभर कर आ रही है कि जो चिकित्सक झोलाछाप की श्रेणी में विनित किये जा रहे हैं उनके विरुद्ध एक ही आरोप लगाया जा रहा है कि प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सक ने अपने चिकित्सा कार्य करने हेतु सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को नहीं दी है दूसरे शब्दों में प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सक द्वारा अपने पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है। यह एक ऐसी आपत्ति है जिसका विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि यह आरोप हमें झोलाछाप की श्रेणी से अलग करता है आपको यह बात पुनः जान लेनी चाहिये कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए अपने पंजीयन का आवेदन हर शिक्षित, प्रशिक्षित व प्राधिकृत चिकित्सक को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो चिकित्सक ऐसा नहीं करेंगे मने ही वह मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक ही क्यों न हों स्वतः झोलाछाप की श्रेणी में आ जायेंगे अर्थात् अब उत्तर प्रदेश में बिना मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पंजीयन के आवेदन के बिना चिकित्सा व्यवसाय नहीं किया जा सकता है।

विगत अनेक वर्षों से बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ०प्र० व इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया लगातार अपने स्तर से हर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक को बताने का प्रयास कर रहा कि स्थानीय पंजीयन की महत्ता क्या है? और इसकी उपयोगिता क्या है? हम प्रयास पर प्रयास निरन्तर कर रहे हैं कि हर एक चिकित्सक तक यह जानकारी पहुँचे, लोग जागरूक हों और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों इसलिए बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० ने गत 5 अप्रैल, 2015 से पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को जागरूक करने के लिए चिकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान चला रहा है इस अभियान के द्वारा अब तक 19 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित

भी किये जा चुके हैं और आगे भी चलते रहेंगे हमारी योजना है कि हम हर जनपद के तहसील स्तर तक इस अभियान को पहुँचायें ताकि वह चिकित्सक जो सूचनाओं से दूर हैं वह भी सूचित हों और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वर्तमान स्थिति को समझें तथा अपने अधिकारों के प्रति आश्वस्त हों।

आज भी हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक ऐसे हैं जो अपने अधिकारों से अवगत नहीं हैं वह अभी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं जबकि ऐसा नहीं होना चाहिये।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति के रूप में बढ़ी तेजी के साथ उभर रही है और हमारे चिकित्सक अपनी पूरी योग्यता के साथ अपनी क्षमताओं का भरपूर प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं वहीं कुछ चिकित्सक ऐसे भी हैं जो प्राप्त अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं या जानबूझ कर समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं हम बिना किसी आलोचना की परवाह किये सतत प्रयास कर रहे हैं कि हमारा चिकित्सक जागरूक हो।

जागरूकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि किसी वास्तविक झोलाछाप चिकित्सक को खिलाफ कार्यवाही हो तो कार्यवाही उचित लगती है लेकिन यदि कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक जो कि शिक्षित, प्रशिक्षित व पंजीकृत है तथा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है और वह झोलाछाप की कार्यवाही में फँस जाता है तो बहुत कष्ट होता है क्योंकि झोलाछाप की कार्यवाही समाज में आपकी प्रतिष्ठा को गिराती है और जिस कार्यवाही के आप पात्र नहीं हैं वह जरा सी नादानानी/लापरवाही के कारण आपके ऊपर हो जाती है, तो निश्चित तौर पर विषय कष्ट का होता है, हमने जहाँ कहीं भी जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम किये हैं वहाँ पर एक ही बात हम बार-बार दोहरा रहे हैं कि हर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक को चाहिये कि वह अपने पंजीयन का आवेदन अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में अवश्य प्रेषित करे कुछ लोग हमारी बात से सहमत होते हैं और कुछ लोग हमारी सलाह का मजाक भी उड़ाते हैं, कहीं-कहीं तो यह आरोप भी लगाये जाते हैं कि

बोर्ड द्वारा यह अभियान अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है जब इस तरह के बेबुनियाद तर्क हमारे पास आते हैं तो हमें कष्ट तो नहीं होता है बल्कि तरस आता है उन लोगों की ओछी मानसिकता पर जो इतने निम्न स्तर के विचार रखते हैं यहाँ पर हम यह कहने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे कि बोर्ड ने चिकित्सकों के प्रति किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता है पहले दिन से हम यह कहते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी सबके के लिए और हम इसी सिद्धान्त पर आज भी चल रहे हैं यह बात हर व्यक्ति को गॉठ बांध लेनी चाहिये कि आपको जिस प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करना है उस प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु प्रचलित नियमों और कानूनों का पालन करना होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय का यह आदेश है कि प्रत्येक शिक्षित, प्रशिक्षित व प्राधिकृत चिकित्सक अपने चिकित्सा व्यवसाय का पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (अब होत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी के यहाँ वैद्य व हकीम एवं होम्योपैथ जिला होम्योपैथिक अधिकारी) के कार्यालय में करेगा उच्च न्यायालय के इस निर्णय आदेश को क्रियान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भी आदेश जारी किये जा चुके हैं तो फिर हम यदि इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो न केवल असंवैधानिक कार्य करते हुए माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना भी करते हैं, हम इसी बात का प्रचार जागरूकता अभियान के द्वारा कर रहे हैं, हम अपने हर कार्यक्रम में आने वाले हर चिकित्सक से यही निवेदन करते हैं कि वह सर्वप्रथम अपना आवेदन अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में करे चाहे वह किसी भी संस्था का हो, हमारा पहला लक्ष्य चिकित्सकों को संरक्षण देना है, संस्थाएँ अपने अधिकार व उपयोगिता सक्षम अधिकारी के सामने सिद्ध करेंगी हमें सिर्फ यह सिद्ध करना है कि हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु अधिकारी है लेकिन यदि हम पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं करते हैं तो सबकुछ होने के बावजूद भी झोलाछाप की श्रेणी से अलग नहीं हो पायेंगे इसलिए यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम बिना किसी सोच विचार के वह काम करें जो कि एक अच्छे चिकित्सक के लिए

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया का 41 वाँ स्थापना दिवस हर्षोल्लास सम्पन्न

मुख्य चिकित्साधिकारी करें इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीयन – डा० इदरीसी

जनपद में इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से प्रेरित होकर रहे पंजीयन मुख्य चिकित्सकों का पंजीयन मुख्य चिकित्साधिकारी अपने कार्यालय में करें। यह मांग इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा० एम०एच० इदरीसी ने एसोसिएशन के 41 वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में की।

डा० इदरीसी ने बताया कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा अनुभाग-6 ने दिनांक 4 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी किया था इस शासनादेश का अनुपालन करवाने हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें 30.09.2013 को 2 सितम्बर, 2013 को सभी मण्डलों के अपर निदेशकों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आदेशित करते हुए निर्देश दिया कि वे 4 जनवरी, 2012 के शासनादेश का परिचालन व अनुपालन शासकीय आदेशानुसार करें इतने स्पष्ट आदेश के बाद ज न प द के मुख्य चिकित्साधिकारियों को चाहिये कि वे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीयन करें और जॉच के नाम पर किसी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ का उत्पीड़न न करें, यदि आवश्यक समझे तो जॉच के कार्य में किसी भी वरिष्ठ इलेक्ट्रो होम्योपैथ को शामिल कर सकते हैं साथ ही इलेक्ट्रो होम्योपैथों को आगाह भी किया कि केवल अधिकार मिलने से काम नहीं बनता है जब तक प्राप्त अधिकारों के अनुरूप कार्य न किया जाये।

बैठक को सम्बोधित करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के संयुक्त सचिव श्री मिथलेश कुमार मिश्रा ने चिकित्सकों से कहा कि यह भयमुक्त होकर अधिकार पूर्वक इलेक्ट्रो होम्योपैथी से प्रेरित करे और प्राथमिकता के आधार पर पंजीयन हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। साथ ही चिकित्सकों को चाहिये कि उनके द्वारा किसी भी तरह की कोई ऐसी गतिविधि न हो जिससे स्वयं अकारण परेशानी में पड़ना पड़े, कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मेडिसिन, 30.09.2013 के रजिस्ट्रार डा० अतीक अहमद ने उपस्थित चिकित्सकों एवं नव पंजीयन चिकित्सकों से अपील की कि वे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति से ही प्रेरित करे इसी में दोनों की



इहनाई के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर डा० एम० के० मिश्रा संयुक्त सचिव इहनाई प्रदेशों की बात रखते हुये। नवाजीन बापे से दाईं क्रमशः डा० वाई० आई० खान एवं इहनाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा० एम०एच० इदरीसी। छाया - गजट

कार्यवाही का डटकर पेज 2 से आगे

आवश्यक है, जिन लोगों के मन में ऐसी विचारधारा है कि जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को मान्यता नहीं मिलती है और कानून नहीं बनता है तब तक उन्हें किसी पचड़े में नहीं पड़ना है ऐसे व्यक्तियों को आज नहीं तो कल अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा समय रहते विचारों में परिवर्तन कर लेंगे तो सहज रहेंगे यदि कार्यवाही होने के बाद हमारे विचारों से आप सहमत हुए तब आनन्द नहीं आयेगा।

शोलाछाप अभियान

के तहत होने वाली जॉचों से आपको घबराना नहीं चाहिये बल्कि सहर्ष जॉच अधिकारी को सहयोग करना चाहिये और यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है इस चिकित्सा पद्धति के लिए बाकायदा शासनादेश जारी है इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथ किसी तरह से शोलाछाप की श्रेणी में नहीं आता है।

कभी कभी कुछ प्रकरण ऐसे भी सामने आये हैं जब आपसी द्वेष के कारण

चिकित्सक की शिकायत अधिकारी से की गयी है और यह आरोप लगाया गया है कि चिकित्सा व्यवसाय कर रहा चिकित्सक गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है आरोप कोई किसी पर लगा सकता है उन आरोपों के आधार पर उस चिकित्सक की जॉच भी हो सकती है और यह भी सम्भव है कि यदि शिकायत कर्ता प्रभावशाली है तो अपने मन मुताबिक जॉच की समीक्षा भी करवा सकता है लेकिन इन सबके बावजूद भी जब



आयुष आपके द्वार कार्यक्रम में आते हुये आयुष मंत्री डा० धर्म सिंह सैनी, हयात ग्रूप के निदेशक मो० आरिफ के साथ डा० एम० एच० इदरीसी -चेयरमैन बी०ई०एच०एम० यू०पी० - छाया गजट

भलाई है आपकी प्रेरित होकर सुरक्षित रहेगी एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति का विकास भी होगा।

कार्यक्रम में डा० संजय कुमार द्विवेदी, डा० पारस श्रीवास्तव, डा० भारिया इदरीसी, डा० वाई० आई० खान, डा० जी० डी० वारसी आदि ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन डा० मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा किया गया।



वास्तविकता सामने आती है और प्रभावी चिकित्सक डटकर मुकाबला करता है तो वह चिकित्सक सफलता की नई इबारत लिखता है लेकिन यह तभी सम्भव होता है जब आप आत्म विश्वास के साथ अपना पक्ष रखें, कभी कभी यह भी हो जाता है कि हमारा चिकित्सक चिन्हित हो जाता है और उस चिकित्सक को पता जब लगता है जब समाचार पत्रों के माध्यम से उसे अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का संज्ञान प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति में भी संयम नहीं खोना चाहिये बल्कि समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार को आधार बना कर तत्काल अपना पक्ष सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये, अपने आप को कभी भी हीन या लाचार न समझे आप अधिकारी हैं और आपको चिकित्सा व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है बशर्ते नियम विरुद्ध कार्य न कर रहे हों।

इन बातों को सदैव मन में रखते हुए कार्य करना चाहिये चूंकि इस तरह की होने वाली कार्यवाही और कार्यवाहियों के उपरान्त प्राप्त परिणामों से ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति मजबूत होगी, यदि 10-15 साहसी चिकित्सक यदि हिम्मत पूर्वक ऐसी कार्यवाहियों का सामना कर लेंगे तो उसका संदेश सामने वाले अधिकारी पर सकारात्मक जायेगा और एक वह समय भी आयेगा जब अधिकारी किसी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कई बार सोचेगा।

चिकित्सा शिविरों के क्रम में जौनपुर सबसे आगे

भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इन्स्टीट्यूट द्वारा 50वाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसका उदघाटन माननीय चौधरी राम जस जी के द्वारा सम्पन्न हुआ, इस चिकित्सा शिविर को जनपद के वरिष्ठ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डा० प्रमोद कुमार मौर्या की देख-रेख में चलाया गया जिसमें सहायक चिकित्सक डा० नदीम हुसैन एवं डा० अशोक विश्वकर्मा तथा आकाश मौर्या, चन्दन मौर्या, आशा कार्यकर्ता शशिकला मौर्या ने सक्रिय योगदान किया, शिविर में लगभग 500 मरीजों का निःशुल्क परीक्षण एवं औषधियों का वितरण किया



मरीजों का परीक्षण करते हुये जौनपुर के प्रख्यात इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डा० प्रमोद कुमार मौर्या एवं उपस्थित मरीजों की भीड़

आयुष आपके द्वार में बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की भी भागीदारी

लखनऊ- स्थानीय एक्सपो मार्ट उद्योग केन्द्र, कैन्ट रोड में इन्स्टीट्यूट फॉर सोशल हारमोनी एण्ड अपलिफ़्टमेंट (इशू) द्वारा आयुष आपके द्वार के अन्तर्गत आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा कैंम्प का आयोजन किया गया जिसका उदघाटन प्रदेश के आयुष मंत्री डा० धर्म सिंह सैनी द्वारा किया गया, कैंम्प में जहाँ आयुर्वेदिक एवं यूनानी तथा हिजाभा के शिविर लगे थे वहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का भी एक शिविर बोर्ड के सहयोग से अवध इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ द्वारा लगाया गया था इसमें आशीष इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्स्टीट्यूट, रायबरेली की भी सहभागिता रही, कार्यक्रम में बोर्ड के चेयरमैन डा० एम० एच० इंदरीसी, डा० निधुलेश कुमार मिश्रा व शिविर में डा० पी० आर० घूसिया तथा डा० आनन्द ने भी अपना योगदान दिया।

कार्यक्रम में भगवानपुर जौनपुर के ग्राम प्रधान द्वारा आभार प्रकट करते हुये सभी शिविर के कार्यकर्ताओं, चिकित्सकों एवं अतिथियों को धन्यवाद दिया।

**धमाचौकड़ी
खत्म**

सारे दावे

**हुये
पूर्ण**

28 फरवरी

13 जून

9 जनवरी

19 मार्च

एवं

20 जून

**के
गर्भ में
निर्णय**



बायें से दायें नू० खलित- महासचिव इशू, डा० अनिस अन्तारी-I.A.S.(R) आयुष मंत्री डा० धर्म सिंह सैनी, डा० आर०पी० कपूर, डा० आनन्द (अवध इन्स्टीट्यूट लखनऊ), पीछे डा० पी० आर० घूसिया, डा० पी०एच० कुशवाहा (आशीष इन्स्टीट्यूट रायबरेली), डा० एम० एच० इंदरीसी-चेयरमैन B.E.H.M.U.P. तथा डा० आफताब अहमद हाशमी पूर्व उप निदेशक यूनानी। -आवा गजट

स्थानीय पंजीयन प्रथम पेज से आगे

दोनों अलग अलग बाते हैं मान्यता प्राप्त चिकित्सक यदि चिकित्सा व्यवसाय करते हैं तो उन्हें भी उस राज्य में पंजीयन कराना होता है जिस राज्य में वह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक अपने लिए कैसे अलग चरता बताते हैं यदि हम चिकित्सा व्यवसाय हेतु राज्य में प्रचलित कानूनों का पालन करें तो हमें कार्य करने में किसी तरह की कोई असुविधा न होगी, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में जिन चिकित्सकों के साथ घटनायें घट रही हैं निश्चित रूप से वे यह सबकुछ नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिये पहली बात तो अधिकांश चिकित्सक अपनी चिकित्सा पद्धति के प्रति निष्ठावान ही नहीं हैं दूसरी बात यह चिकित्सक कभी भी अपने आप को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक रूप में घोषित ही नहीं करते हैं, हमारे चिकित्सकों को पता नहीं क्यों अपने स्वरूप से स्नेह नहीं है या तो उनमें हीन भावना है या फिर उनका दृष्टिकोण संकुचित हो चुका है।

यदि हम अपने साइनबोर्ड पर यह स्पष्ट उल्लेख करें कि यह क्लिनिकल इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की है और इस क्लिनिक को संचालित करने वाला चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी है तो यकीन मानये अभी समस्या का समाधान तो प्रारम्भ में ही हो जायेगा। अगली समस्या आती है राज्य स्तरीय पंजीयन के साथ साथ स्थानीय पंजीयन की, यदि हम इनकी प्रभुति भी कर देते हैं तो हमें किसी भी तरह की परेशानी करने का सामना नहीं करना पड़ेगा, जब तक हम अपने आप को इस रूप में नहीं बालते हैं तो हमारी परेशानी आसानी से दूर होती नहीं दिखती, सारी प्रभुति के बावजूद भी यदि किसी अधिकारी द्वारा किसी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो इसका स्थानीय स्तर पर पुरजोर विरोध होना चाहिये और सामूहिक रूप से अपनी अधिकारिता सिद्ध करनी चाहिये। हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि हर इलेक्ट्रो होम्योपैथी पुरे अधिकार के साथ प्रैक्टिस करें लेकिन विधि सम्मत ढंग से।

परेशानी आज नहीं कल अवश्य दूर होगी लेकिन आप द्वारा ऐसा कोई कार्य न हो जिससे कि परेशानियाँ स्वयं निम्नित हो जायें, हमारी अपेक्षा है कि हर चिकित्सक सकारात्मक विचारों के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मूल तथ्यों पर विचार करेगा और ऐसी रणनीति बनायेगा जिससे कि कभी पीड़ित न हो।

डा० प्रलयंकर

**द्वारा
स्थापित**

Indian Electro Homoeopathic Medical Council

का

स्वर्णजयंती

समारोह

19 अगस्त

2018

को

शाह

ऑडिटोरियम

सिविल लाइन्स

निकट

कशमीरी गेट

मेट्रो स्टेशन

दिल्ली में